

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

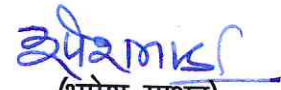
(दूरभाष नं.:—0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:—एफ.4(ई)/लिक.नं. 9405/अलेसे-III/1392 दिनांक:— 17.11.2022

कार्यालय आदेश

श्रीमती प्रियंका खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 580 दिनांक 07.11.2022 के आवेदन अनुसार माह नवम्बर-2022 में दिनांक 22.11.2022 से 30.11.2022 (09 दिवस) तक भ्रमण हेतु थाइलैण्ड (Thailand) जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

- 1 वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगा।
- 2 वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेशप्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन/ फ़ैक्स न.आदि सूचित करेगा।
- 3 विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
- 4 वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा गृहण नहीं करेगा।
- 5 वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
- 6 वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेगा।
- 7 उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 8 विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा /के माध्यम से कोई व्यय/विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
- 9 वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगा।
- 10 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावगी।
- 11 उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगी।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:—एफ.4(ई)/लिक.नं. 9405/अलेसे-III/1392 दिनांक:— 17.11.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 580 दिनांक 07.11.2022 के क्रम में।
2. श्रीमती प्रियंका खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान जयपुर।


(के. जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)